न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2021 **दायर दिनांकः 01/01/2021**

उनवान

1. छम्मा बेगम आयु 70 वर्ष पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री अलताफ हुसैन।

निर्णय दिनाकः 15/06/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल दिलोद हाथी तहसील अटरू मे खाता संख्या 12 का ख0नं0 1268 का रकबा 1.09 है0, ख0 नं0 1833 का रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.45 है0 में हिस्सा 1/7 खाता दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सहवन से सन्नो पुत्री नूर मोहम्मद नाम अंकित हो गया है। जो कि गलत है। प्रार्थिया का असली नाम छम्मा बेगम है। प्रार्थिया के आधार कार्ड व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में भी प्रार्थिया का नाम छम्मा बेगम ही दर्ज है। जो कि प्रार्थिया का असली नाम है। उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ग्राम दिलोद हाथी खाता संख्या 12 ख0नं0 1268 का रकबा 1.09 है0, ख0 नं0 1833 का रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.45 है0 में हिस्सा 1/7 दर्ज है। प्रार्थिया अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर प्रार्थिया का नाम सन्नो के स्थान पर छम्मा बेगम पुत्री नूर मोहम्मद

जाति मुसलमान निवासी दिलोद हाथी दर्ज करवाने की अधिकारणी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणें के द्वारा किये गये गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम सन्नो दर्ज कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से ऋण आदि प्राप्त नहीं क पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थिया का नाम छम्मा बेगम के स्थान पर सन्नो अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा दर्ज किया गया है। इस कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायलय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 12 ख0नं0 1268 का रकबा 1.09 है0, ख0 नं0 1833 का रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.45 है0 में हिस्सा 1/7 आराजी ग्राम दिलोद हाथी में प्रार्थिया का नाम सन्नो पुत्री नूर मोहम्मद के स्थान पर छम्मा बेगम पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी दिलोद हाथी तह0 अटरू दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 छम्मा बेगम पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी दिलोद हाथी का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि मेरे शामलाती खाते हिस्सा 1/7 दर्ज खाता आ रही है। उक्त वर्णित आराजी में मेरा नाम सन्नो सहवन से गलत अंकित हो गया है। जो गलत है। जबकि मेरा वास्तविक नाम छम्मा बेगम है। मेरे आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में मेरा नाम छम्मा बेगम ही है। जो कि मेरा सही नाम है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित भूमि ग्राम व माल दिलोद हाथी की खाता संख्या 12 की कुल किता 2 का रकबा 1.45 है0 में सन्नो पुत्री नूर मोहम्मद को दुरूस्त करते हुए उसके स्थान पर छम्मा बेगम पुत्री नूर मोहम्मद का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी तथा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया । ग्राम दिलोद हाथी की जमाबन्दी संवत 2072–75 (प्रदर्श–1) के खाता संख्या 12 ख0नं0 1268 का रकबा 1.09 है0, ख0 नं0 1833 का रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.45 है0 में प्रार्थिया का नाम सन्नो पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा 1/7 शामलाती खाते में दर्ज स्थित है। आधार कार्ड (प्रदर्श–4) में प्रार्थिया का नाम छम्मा बेगम पत्नि अब्दुलहमीद अंकित है। प्रार्थिया द्वारा 50 रू के स्टाम्प पेपर (प्रदर्श–2) पर सशपथ बयान किया कि मेरा नाम छम्मा बेगम उर्फ सन्नो है। यह दोनों नाम मेरे ही है। गावं में मुझे छम्मा बेगम व सन्नो दोनों नामों से जाना जाता है इन दोनों नामो की गावं में अन्य कोई महिला नहीं है। ग्राम पंचायत दिलोद हाथी के प्रमाण पत्र दिनांक 5.12.2020 अनुसार सन्नो व छम्मा बेगम पुत्री नुरमोहम्मद दोनों नाम एक ही महिला के है।

4. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी दिलोद हाथी तहसील अटरू मे खाता संख्या 12 का ख0नं0 1268 का रकबा 1.09 है0, ख0 नं0 1833 का रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.45 है0 में सहखातेदार सन्नो पुत्री नूरमोहम्मद के स्थान पर छम्मा बेगम उर्फ सन्नो पुत्री नूरमोहम्मद राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां